राजस्थान – सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार – कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/2010/ दिनांक :

समस्त संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान।

विषय :– दस, बीस, तीस वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ए0सी0पी0 स्वीकृत करने के क्रम में।

—— : : —— : : ——

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14(88)एफडी(रूल्स) /2008–द्वितीय दिनांक 31.12.09 के द्वारा आर0पी0एस0–2008 के नियम–5(11) के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन उपरान्त कार्यग्रहण करने/नियुक्ति आदेश में दिये गये दिनांक से नियमित नियुक्त चिकित्सकों को दस, बीस, तीस वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 01.09.06 से ए0सी0पी0 का लाभ दिया जाना हैं, जिसमें वह चिकित्सक भी सम्मिलित हैं जो दिनांक 01.09.06 के बाद राज्य सेवा से सेवानिवृत हुए हैं, उनकी सेवापुस्तिका पेंशन विभाग से प्राप्त कर अपने परिक्षेत्र में आने वाले समस्त जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/अधीक्षकों को निर्देशित करें कि वे उनके अधीन कार्यरत चिकित्सकों जिनकी दस, बीस, तीस वर्ष आर0पी0एस0–2008 के नियम–5(11) के तहत नियमित नियुक्ति की दिनांक से सेवापूर्ण होने पर **ए0सी0पी0** स्वीकृत की जानी हैं के प्रकरण निर्धारित प्रपत्र मय सेवापुस्तिका के संबंधित लिपिक के साथ निदेशालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, जिसके लिए आपको दिनांक 15.02.10 तक का समय दिया जाता हैं।

अतः आपको आगाह किया जाता हैं कि आपके अधीन आने वाले जिलों के किसी भी चिकित्सक की ए0सी0पी0 के प्रस्ताव शेष नहीं रहने चाहिए, चाहे वह सेवा में हो या सेवानिवृत हो चुके हो। वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में 28 फरवरी, 2010 तक भुगतान करने के लिए पाबन्द किया जा चुका हैं, अगर कोई कर्मचारी इस लाभ से वंचित रहा तो उसके लिए आप पूर्णतया उत्तरदायी होंगें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/2010/ 75 दिनांक : 4/2/10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. परियोजना निदेशक, आर0एच0एस0डी0पी0/एन0आर0एच0एम0/एड्स, मुख्यालय।
3. निदेशक, आर0सी0एच0/एड्स/ई0एस0आई0, मुख्यालय।
4. समस्त प्रधानाचार्य, आर्युविज्ञान महाविद्यालय, राजस्थान।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
6. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित/कार्यालय सहायक, डी0पी0सी0 सैल, राजपत्रित, मुख्यालय।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय जयपुर को भेजकर लेख हैं कि उक्त पत्र को विभाग के वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करें।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,